

कार्यालय, निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: 1239 /स्था0-1/एक-क/15(241)/स्थानान्तरण/15-16

दिनांक: 01-4-16

शासनादेश संख्या 970/37-1-2016-2(14)/2015, दिनांक 31 मार्च 2016 की पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
- 3- मंडलायुक्त, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, बस्ती, लखनऊ, देवीपाटन, इलाहाबाद, बाराणसी, मिर्जापुर, बरेली, आजमगढ़, झांसी।
- 4- जिलाधिकारी, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, मैनपुरी, बस्ती, सीतापुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया, बरेली, बदायूं, आजमगढ़, रायबरेली, जालौन, गाजीपुर।
- 5- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- 6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, मैनपुरी, बस्ती, सीतापुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया, बरेली, बदायूं, आजमगढ़, रायबरेली, जालौन, गाजीपुर।
- 7- निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, बस्ती, लखनऊ, देवीपाटन, इलाहाबाद, बाराणसी, मिर्जापुर, बरेली, आजमगढ़, झांसी।
- 9- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, मैनपुरी, बस्ती, सीतापुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया, बरेली, बदायूं, आजमगढ़, रायबरेली, जालौन, गाजीपुर।
- 10- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 11- संयुक्त निदेशक डास्प मुख्यालय।
- 12- उप निदेशक डास्प मुख्यालय।
- 13- आहरण वितरण अधिकारी प्रधान कार्यालय।
- 14- प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग-3/लेखा/पटल सहायक प्रविष्टि सेल मुख्यालय।
- 15- श्री नवीन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, मुख्यालय को इस आशय से कि पशुपालन के बेवसाइड पर डालना सुनिश्चित करे।
- 16- वैयक्तिक पत्रावली हेतु।

(डा0 पी0के0त्रिपाठी)

संयुक्त निदेशक (प0प्र0/प्रशासन)

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-970 /37-1-2016-2(14)/2015

लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2016

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा श्री राज्यपाल, निम्नलिखित उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

क्र०	अधिकारी का नाम/ जनपद	नवीन तैनाती
1	2	4
1.	डा० संजीव कुमार, अधीक्षक, पालीक्लीनिक जनपद गोरखपुर	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, मुरादाबाद
2.	डा० धीरेन्द्र सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, आगरा	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, मैनपुरी
3.	डा० मानव, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भानपुर, बस्ती	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, सीतापुर
4.	डा० अनिल कुमार यादव, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य श्रावस्ती	उप निदेशक, डारुप, मुख्यालय
5.	डा० अशोक कुमार सिंह-5, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सिराथू, कौशाम्बी	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, वाराणसी
6.	डा० अरविन्द मालवीय, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कैम्पियर गंज, गोरखपुर	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मङ्गिहान, मिर्जापुर
7.	डा० रवीन्द्र कुमार-2, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य देवरिया	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, नवाबगंज, बरेली
8.	डा० महावीर सिंह-3, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, बदायूँ	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बिसौली, बदायूँ
9.	डा० एजाज अहमद सज्जाद आलम, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, फूलपूर, आजमगढ़	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, राबयरेली
10.	डा० सुरेश कुमार पाण्डेय, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य जालौन	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, गाजीपुर

2- सम्बन्धित अधिकारी आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें।

संख्या- 970 /37-1-2016-2(14)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित अपर निदेशक(ग्रेड-2) द्वारा निदेशक(प्रशा० एवं वि०), पशुपालन विभाग।
- 4- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा० एवं वि०), पशुपालन विभाग।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा० एवं वि०), पशुपालन विभाग।
- 6- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा निदेशक(प्रशा० एवं वि०), पशुपालन विभाग।

गाई बुक।

रजनीश गुप्ता

प्रमुख सचिव

574157122
1-4-16
सं० नि० (प्र० एवं वि०)

प्रमुख सचिव-1
30प्र०, लखनऊ

आज्ञा से,
(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

31-3-2016

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

31/4/16